न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), गोण्डा।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–546/2026

CNR No.UPGD010016162026

मोहित चौहान पुत्र बधाई चौहान, निवासी ग्राम–लोनियन डीह, थाना खोड़ारे, जिला–गोण्डा।
––––––––––प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश।
पप्पू कुमार पुत्र राम शंकर, निवासी रजई भारी, थाना–खोड़ारे, जनपद–गोण्डा।
–––––––––––– अभियोगी।

मु0अ0सं0–138/2025,
धारा–74, 115(2), 352, 351(3) भा0न्या0सं0
धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट,
धारा–3(1)द, ध, w एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–खोडारे, जिला गोण्डा।

दिनांक–08.04.2026

प्रार्थी/अभियुक्त मोहित चौहान की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–138/2025, धारा–74, 115(2), 352, 351(3) भा0न्या0सं0 व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट व धारा–3(1)द,ध, w एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना–खोड़ारे, जिला गोण्डा के अभियोग में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा पप्पू कुमार द्वारा इस आशय की तहरीर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा में प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 04.06.2025 को उसके पट्टीदार सोमई के लड़के की शादी की बारात विदा होकर जा रही थी कि तभी विपक्षी मोहित पुत्र बुधई चौहान निवासी ग्राम लोनियनडीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा आकर उसकी लड़की पीड़िता का दुपट्टा खीचकर छेड़खानी करने लगा और मोबाइल नम्बर मांगने का प्रयास किया। उसकी लड़की पीड़िता ने उस समय अपने माता पिता को बताई की मोहित उसके साथ छेड़खानी कर रहा है कि हम दोनो पति पत्नी मिलकर मोहित को डांट दिए और घर के सभी पुरूष बारात चले गए घ ार पर सिर्फ महिलाएं थी कि मोहित अपने दो साथी को लेकर रात में करीब 09:00 बजे के आस पास आकर घर पर चढ़कर मां–बहन की भद्दी–भद्दी गाली जाति सूचक शब्दो से अपमानित करते हुए लाठी डंडा से मारने लगा। विपक्षीगण के मारने से उसके घर की ममता पत्नी पप्पू व माया देवी पत्नी निरंजन व काजल व शीतल पुत्रगण पप्पू व फूटी पुत्री निरंजन घायल हो गयी। विपक्षीगण मारपीट के दौरान जान से मारने की धमकी देते रहे। आस पास के लोग आकर चीख पुकार सुनकर बीच बचाव किए। मोहित के साथ जो दो अज्ञात व्यक्ति थे, नाम पता नहीं मालूम है। प्रार्थी अनुसूचित जाति (चमार) है। घटना के बावत जब सूचना मिली तो रात ही वह घर वापस आ गया। रिपोर्ट दर्ज करके कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त मोहित चौहान व दो व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 138/2025, अन्तर्गत धारा 74, 115(2), 352, 351(3) बीएनएसएस व 3(1) द, 3(1) ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया तथा विवेचनोपरान्त आवेदक/अभियुक्त मोहित चौहान के विरूद्ध धारा 74, 115(2), 352, 351(3) बीएनएसएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट एवं 3(1)द, ध, 3(1) w एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है।

अभियुक्त की ओर से जमानत आधार में यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त सामाजिक एवं कानून का पालन करने वाला नागरिक है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अन्य सभी अभियुक्त की जमानत श्रीमानजी द्वारा दी जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि वास्तविकता यह है कि

Digitally signed by NIRBHAY PRAKASH
Date: 2026.04.08 16:55:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। आरोप यह है कि आवेदक/अभियुक्त ने वादी की पुत्री से छेड़खानी की तथा गाली गलौज, मारपीट एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया, जबकि वास्तविकता यह है कि आवेदक/अभियुक्त वादी के पट्टीदार सोमई के लड़के की शादी में गया था। वादी द्वारा रास्ते में चारपाई और अन्य सामान रख दिया गया था, जिसे हटाने के कहा गया था जिससे क्षुब्ध होकर सोच समझकर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त न तो उस गांव का रहने वाला है, न हीं सोमई तथा वादी के बीच किसी विवाद का पक्षकार है और न ही किसी प्रकार का अपराध कारित किया है। पूरा प्रकरण वादी तथा सोमई के व्यक्तिगत रंजिश के कारण दर्ज कराया गया है। एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत लगाए गए आरोप सरासर झूठे, मनगढ़ंत एवं द्वेषपूर्ण है, जो केवल आवेदक/अभियुक्त को प्रताड़ित करने हेतु लगाए गए हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

प्रथम सूचक/वादी मुकदमा को नोटिस भेजा गया, नोटिस बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। दौरान सुनवाई प्रथम सूचक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर पर चढ़कर मां–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देने, जाति सूचक शब्दो से अपमानित करते हुए लाठी डंडा से वादी मुकदमा के परिजनों को मारने पीटने व मारपीट के दौरान जान से मारने की धमकी देने का अभियोग लगाया गया है। केस–डायरी में संलग्न मेडिकल आख्याओं के अनुसार मजरूबो की चोटें सामान्य प्रकृति की होना उल्लिखित है। मजरूबा माया देवी के एक्स–रे रिपोर्ट में एन0ए0डी0 आना उल्लिखित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व से अन्तरिम जमानत पर रहा है तथा इसके द्वारा अन्तरिम जमानत की शर्तो का दुरूपयोग नहीं किया गया है। सह अभियुक्त कमरूद्दीन की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। ऐसे में मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर बिना विचार किये हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मोहित चौहान की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–138/2025, धारा–74, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 3(1)द, ध, w एस0सी0/एस0टी0 एक्ट व 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना–खोड़ारे, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–546/2026 **स्वीकार** किया जाता है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 2025 ए0एच0सी0 136034** के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/– (बीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि की **एक** प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है–

1–अभियुक्त निष्पादित बन्ध–पत्र के शर्तो के अनुसार हाजिर रहेगा।

2–अभियुक्त उक्त जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

3–अभियुक्त विचारण के दौरान मामले से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण; धमकी या वचन नहीं देगा और साक्ष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

4–अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा विचारण में प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(निर्भय प्रकाश)
आई0डी0नं0–यू0पी01687
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), गोण्डा।

दिनांक–08.04.2026

दिनांक : 08.04.2026 **अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), गोण्डा।**